संख्या–470 /XIV–1/2006

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग: देहरादून: दिनॉक: 9 जून,2006

विषय:– चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष की (जिला सेक्टर) वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल के पत्र संख्या 605–06/नियो0/जिला योजना/2006–07, दिनांक 15.05.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की (जिला सेक्टर) योजना हेतु जनपदवार आवंटित/विभिन्न मदों में उपलब्ध प्राविधान जो भी कम हो, की सीमा तक कुल रू0 184.39 लाख (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की संलग्नक में अंकित विवरणानुसार राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. इसका आहरण/व्यय योजनाओं पर जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

4. सभी कार्यक्रमों का वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल किया जाय, तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

5. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं अनुमोदित कार्यो/मदों पर व्यय किया जाय तथा किसी ऐसे मद/कार्य पर धनराशि का व्यय न किया जाय जो योजना में स्वीकृत नही है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। यदि उक्त धनराशि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जाएगी।

6. स्वीकृति धनराशि का व्यय सर्वप्रथम उन योजनाओं में किया जायेगा जिसका 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर ही किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा महालेखाकार को भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लेखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जाय तथा आय-व्ययक में अपनाई गई कम्पोजिट ग्रान्ट की प्रणाली के अन्तर्गत एक लेखा का राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय (जिसमें ऋण और अग्रिमों से संबंधित व्यय भी सम्मिलित है) एक ही अनुदान के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रणाली में पूंजी व्यय से राजस्व व्यय में पुनर्विनियोग वर्जित है।

10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त तिथि तक कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

11. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की योजनाओं/शीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 पत्र संख्या-147/वित्त अनुभाग-4/दिनांक 8.6.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्या-471 (1)/XIV-1/2006/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल को अल्मोड़ा जनपद की स्वीकृति के आहरण हेतु।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 ... रेयाल)

शासनादेश सं. 420 दि. 9-6-06 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु जनपदों से प्राप्त जिला योजना के आधार पर जिला योजना हेतु निर्धारित/उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदो को स्वी
प्रदान करने हेतु लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आँबटन का विवरण:–

(धनराशि लाख रू

लेखाशीर्षक	नैनी0	ऊधमसिंहनगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौ0	चम्पा0	देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रूद्रप्रयाग	उ0काशी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
2425–सहकारिता–आयोजनागत 107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 91–सहकारी ऋण योजना 9101–[illegible] के [illegible] हेतु [illegible] अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.64	–	28.00	2.18	30.00	13.70	6.40	–	28.80	9.84	11.00	5.66	13.78	150
9102– सहकारी ऋण योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक [illegible] को प्रबन्धकीय अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.10	1.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7
108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता 03–सहकारी [illegible] की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1.35	0.95	0.65	–	0.50	0.05	0.90	–	0.50	0.75	3.00	2.30	0.90	11.6
800–अन्य व्यय 06–[illegible] विकास एवं जड़ी–बूटी योजना 20–सहायक अनुदान/अंशदान / राजसहायता	1.60	0.10	0.85	1.45	1.01	1.40	1.08	7.40	0.40	0.40	1.00	2.50	1.65	20.8
योग–2425	3.69	2.65	29.50	3.63	31.51	15.15	8.38	7.40	29.70	10.99	15.00	10.46	16.33	184.3

[illegible]
उत्तरांचल शासन